भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2319
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

तमिलनाडु को निधि का आबंटन

2319. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगभग 10 प्रतिशत खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु को आवंटित निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पीएमएफएमई सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित स्वयं-सहायता समूहों, महिला उद्यमियों का राज्यवार/जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में वित्तीय सहायता को सुदृढ़ करने और इसके विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण में औपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा 2021 में कराये गए "भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को निर्धारित करने के लिए अध्ययन" की रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन में शामिल कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण की सीमा का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), वर्ष 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और वर्ष 2020-21 से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन(पीएमएफएमई) योजना लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई प्रकृति में मांग आधारित है और पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। पीएमकेएसवाई की शुरुआत से लेकर अब तक तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत और पूर्ण/संचालित परियोजनाओं की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

पीएलआईएसएफपीआई के तहत, प्रोत्साहन सीधे लाभार्थी कंपनी को दिए जाते हैं, न कि राज्य सरकार के माध्यम से। पीएमएफएमई के तहत, तमिलनाडु राज्य के लिए योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए 212.19 करोड़ रुपये की केंद्र हिस्सेदारी राशि जारी की गई है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
जारी केंद्र हिस्सेदारी धनराशि (करोड़ रूपये में)	12.947	3.23	24.01	71.9978	100.00

28 फरवरी, 2025 तक

(ग): पिछले तीन वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजना के तहत सृजित रोजगार का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। एलआईएसएफपीआई के तहत कुल 3,31, 018रोजगार सृजित किए गए हैं।

(घ): पीएमएफएमई योजना के तहत, नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु राज्य के लिए, 28 फरवरी, 2025 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत महिला उद्यमियों के लिए 8377 ऋण और स्वयं सहायता समूहों के लिए 11 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु राज्य में 22,053 एसएचजी सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी के लिए मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु राज्य के लिए जिलेवार वर्षवार विवरण **अनुबंध-IV** में है।

(ङ): देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। । ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार तमिलनाडु राज्य के डेल्टा क्षेत्र के भावी उद्यमियों सहित विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(च): पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान, 40,000 रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी, लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण और इकाइयों के औपचारिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) द्वारा हैंडहोल्डिंग सहायता के माध्यम से प्रयोज्यता के अनुसार उद्यम आधार पंजीकरण, एफएसएसएआई पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण के माध्यम से इकाइयों के औपचारिकीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। पीएमएफएमई योजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक 36,946 उद्यमों को औपचारिक रूप दिया जा चुका है।

*****

अनुबंध- I

13 मार्च, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु "तमिलनाडु को निधियों का आवंटन" से संबन्धित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

भारत में प्रसंस्करण का स्तर प्रतिशत में:

श्रेणी/ वस्तु	**वर्ष**		
	2010-11	**2015-16**	**2018-19**
धान	69.7	82.5	92.3
गेहूँ	55.3	70.1	78.0
मोटे अनाज	20.0	28.3	29.4
अनाज (समग्र)	51.1	63.7	68.8
चना	29.3	59.6	80.4
अरहर	31.6	51.3	51.7
अन्य दालें	40.5	58.1	53.8
दालें (समग्र)	34.0	57.4	61.8
खाद्यान्न	49.3	63.2	68.2
मूंगफली	8.1	17.5	43.7
सरसों	56.5	36.0	32.5
अन्य तिलहन	87.9	79.9	61.5
तिलहन (समग्र)	60.1	49.5	49.8
फल	1.6	2.9	4.5
आलू और प्याज	1.1	2.0	3.2
अन्य सब्जियाँ	2.7	2.4	2.4
फल और सब्जियाँ (समग्र)	1.9	2.5	3.3
दूध	17.2	20.1	21.1
अंडे और मुर्गी पालन	3.5	7.4	11.6
मांस	18.6	22.7	34.2
पशुपालन	8.7	12.7	18.7
मछली	2.8	8.3	15.4

अनुबंध- II

13 मार्च, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु "तमिलनाडु को निधियों का आवंटन" से संबन्धित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत परियोजनाएं					
वर्ष	**स्वीकृत**	**पूर्ण/परिचालित**			
		संख्या	**परियोजना लागत (करोड़ रूपये में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**	**जारी की गई अनुदान सहायता (करोड़ रूपये में)**
2020-21	42	24	301.26	64.25	57.93
2021-22	2	23	335.5	83.63	79.74
2022-23	32	15	152.89	57.86	56.45
2023-24	34	25	171.73	55.07	46.66
2024-25	0	7	55.66	23.73	20.55

13 मार्च, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु "तमिलनाडु को निधियों का आवंटन" से संबन्धित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क) पिछले तीन वर्षों में पीएमकेएसवाई के तहत सृजित राज्यवार रोजगार				
क्र.सं.	**राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	8288	3274	6728
3	अरुणाचल प्रदेश	200	0	0
4	असम	3830	2906	6555
5	बिहार	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ	2480	0	0
8	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1400	0	0
9	दिल्ली	0	0	0
10	गोवा	0	0	74
11	गुजरात	14366	9866	5444
12	हरियाणा	2704	4186	586
13	हिमाचल प्रदेश	6068	1200	0
14	जम्मू और कश्मीर	2484	0	74
15	झारखंड	0	0	0
16	कर्नाटक	3200	6008	894
17	केरल	11440	3864	4311
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1290	2550	640
21	महाराष्ट्र	21396	6878	22503
22	मणिपुर	80	0	0
23	मेघालय	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0
26	उड़ीसा	74	1200	0
27	पुडुचेरी	0	0	0
28	पंजाब	5292	5328	1900
29	राजस्थान	1468	970	290
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	4326	5452	3330
32	तेलंगाना	0	1200	637
33	त्रिपुरा	370	0	234
34	उत्तर प्रदेश	4596	3388	5107
35	उत्तराखंड	3484	6924	1360
36	पश्चिम बंगाल	2400	1968	120
	कुल	**101236**	**67162**	**60787**

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएफएमई के तहत सृजित राज्यवार रोजगार

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	12	24	0
2	आंध्र प्रदेश	8424	6711	2697
3	अरुणाचल प्रदेश	63	84	72
4	असम	1977	1899	4125
5	बिहार	8769	30852	24411
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ	633	1050	933
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	15	12
9	दिल्ली	243	309	234
10	गोवा	126	69	87
11	गुजरात	309	858	792
12	हरियाणा	987	1818	930
13	हिमाचल प्रदेश	1809	1650	1401
14	जम्मू और कश्मीर	510	1440	1749
15	झारखंड	594	4581	4644
16	कर्नाटक	5469	6033	5850
17	केरल	2421	7719	7614
18	लद्दाख	78	99	42
19	मध्य प्रदेश	4278	8076	12645
20	महाराष्ट्र	18120	28479	18000
21	मणिपुर	201	39	78
22	मेघालय	78	132	327
23	मिजोरम	21	39	57
24	नागालैंड	75	465	450
25	ओडिशा	1860	1881	1686
26	पुदुचेरी	174	162	120
27	पंजाब	2511	3549	1356
28	राजस्थान	576	726	1272
29	सिक्किम	93	60	24
30	तमिलनाडु	11151	22998	9474
31	तेलंगाना	6201	10500	3024
32	त्रिपुरा	129	189	186
33	उत्तर प्रदेश	6912	19962	19257
34	उत्तराखंड	666	1248	510
35	पश्चिम बंगाल	0	66	324
	कुल	**85476**	**163782**	**124362**

अनुबंध- IV

13 मार्च, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु "तमिलनाडु को निधियों का आवंटन" से संबन्धित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में महिला उद्यमियों के लिए जिलेवार स्वीकृत ऋण

क्र.सं.	जिला	2022-23	2023-24	2024-25
1	अरियालुर	44	23	8
2	चेंगलपट्टू	43	84	44
3	चेन्नई	27	704	171
4	कोयंबटूर	49	89	64
5	कुड्डालोर	65	293	195
6	धर्मपुरी	34	84	36
7	डिंडीगुल	62	70	39
8	इरोड	47	80	40
9	कल्लाकुरिची	32	85	19
10	कांचीपुरम	66	100	39
11	कन्याकुमारी	32	209	26
12	करूर	36	63	38
13	कृष्णागिरी	57	74	15
14	मदुरै	120	238	60
15	माइलादुत्रयी	42	184	33
16	नागपट्टिनम	39	50	24
17	नमक्कल	32	84	42
18	पेरम्बलुर	41	23	7
19	पुदुक्कोट्टई	26	77	26
20	रामनाथपुरम	22	169	52
21	रानीपेट	59	49	36
22	सेलम	63	102	44
23	शिवगंगा	27	59	25
24	तेनकासी	21	163	91
25	तंजावुर	20	150	35
26	नीलगिरी	15	19	6
27	थेनी	23	52	15
28	तिरुवल्लुर	93	229	99
29	थिरुवरुर	89	76	29
30	तिरुचिरापल्ली	50	65	23
31	तिरुनेलवेली	44	160	77
32	तिरुपथुर	124	49	11
33	तिरुपूर	61	84	37
34	तिरुवन्नामलाई	89	153	38
35	तूतीकोरिन	57	318	72
36	वेल्लोर	36	40	11
37	विल्लुपुरम	21	167	68
38	विरुधुनगर	60	69	27
	कुल	**1868**	**4787**	**1722**

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूहों के लिए जिलेवार स्वीकृत ऋण :

क्र.सं.	ज़िला	2022-23	2023-24	2024-25

1.	चेंगलपट्टू	0	1	0
2.	कोयंबटूर	0	1	0
3.	इरोड	7	0	0
4.	कन्याकुमारी	0	1	0
5.	तिरुनेलवेली	1	0	0
	कुल	**8**	**3**	**0**

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वीकृत स्वयं सहायता समूह सदस्यों की जिलावार सूची:

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत एसएचजी सदस्य		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1	अरियालुर	61	166	336
2	चेंगलपट्टू	62	108	51
3	चेन्नई	75	333	111
4	कोयंबत्तूर	55	313	67
5	कुड्डालोर	201	185	250
6	धर्मपुरी	70	145	145
7	डिंडीगुल	128	257	366
8	इरोड	111	203	563
9	कल्लाकुरिची	82	90	90
10	कांचीपुरम	150	299	201
11	कन्याकुमारी	403	227	287
12	करूर	87	211	382
13	कृष्णागिरी	35	134	173
14	मदुरै	172	436	328
15	माइलादुत्रयी	30	19	24
16	नागपट्टिनम	319	241	238
17	नमक्कल	163	342	82
18	पेराम्बलुर	149	63	162
19	पुदुक्कोट्टई	133	787	71
20	रामनाथपुरम	31	232	228
21	रानीपेट	9	17	164
22	सलेम	284	826	450
23	शिवगंगा	92	224	266
24	तेनकासी	64	180	56
25	तंजावुर	40	501	150
26	थेनी	114	216	275
27	नीलगिरी	51	73	64
28	थिरपुर	24	262	163
29	थूथूकुडी	39	95	61
30	तिरुचिरापल्ली	22	489	125
31	तिरुनेलवेली	55	389	196
32	तिरुपत्तूर	46	118	77
33	तिरुवल्लूर	95	481	113
34	तिरुवन्नामलाई	31	429	134
35	तिरुवरुर	80	332	245
36	वेल्लोर	192	541	157
37	विल्लुपुरम	166	511	163
38	विरुधुनगर	185	235	223
कुल		**4106**	**10710**	**7237**

*****